रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्रपद 7, 1930
No. 304] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRAPADA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

सं. 1/1/2008-आई सी.— सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था- III (क) दिनांक 05 अक्तूबर, 2006 के अंतर्गत किया गया था जिसे [(आर.बी.आई. को छोड़कर) संसद के अधिनियमों के तहत् गठित अन्य विनियामक निकायों के सदस्यों को शामिल करने हेतु] संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 तथा [सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इनके दायरे में शामिल करने के लिए] संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 08 अगस्त, 2007 के तहत् संशोधित किया गया था । आयोग ने संघ शासित क्षेत्रों, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा सेनाओं से संबंधित कार्मिकों तथा भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (आई.ए.एंड ए.डी.) के कर्मचारियों और नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर) के सदस्यों के साथ-साथ सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिलब्धियों के ढांचे, भत्तों तथा सेवा-शर्तों और पेंशन लाभों के संबंध में अपनी सिफारिशें 24 मार्च, 2008 को सरकार को सौंपी । सरकार ने समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के सिविल कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों और नियामक बोर्ड (आर.बी.आई. के सिवाय) के सदस्यों/अध्यक्षों से संबंधित इन सिफारिशों पर गहन विचार-विमर्श करते हुए निम्नलिखित संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को एक पैकेज के रूप में स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया है:-

(i) आयोग द्वारा संस्तुत निम्नलिखित वेतन बैंड सुधार और संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार होंगे:-

आयोग द्वारा की गई सिफारिश	सरकार का निर्णय
वेतन बैंड-1 4860-20200 रुपए	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
वेतन बैंड-2 8700-34800 रुपए	वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपए
वेतन बैंड-4 39200-67000 रुपए	वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए

3254 GI/08-1A

(ii) वेतन बैंड 4 में से एच.ए.जी.+ नाम से 75500-80000 रुपए का एक नया वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से) बनाया जाएगा ।

(iii) आयोग द्वारा संस्तुत निम्नलिखित ग्रेड वेतन में सुधार करके संशोधित ग्रेड वेतन निम्न प्रकार होंगे:-

आयोग द्वारा संस्तुत	सरकार का निर्णय
10000-15200 रुपए और 10325-10975 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 6600 रुपए
10650-15850 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6500 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 6600 रुपए
12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 7600 रुपए
12750-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7500 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 7600 रुपए
12000-18000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 7600 रुपए
14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 8700 रुपए
15100-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 8300 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 8700 रुपए
16400-20000 रुपए तथा 16400-20900 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-3 में 8400 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 8900 रुपए
14300-22400 रुपए तथा 18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 10000 रुपए
22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 12000 रुपए
22400-26000 रुपए तथा 24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन	एच.ए.जी. + के रूप में 75500-80000 रुपए (वार्षिक वृद्धि 3 प्रतिशत है) का एक नया वेतनमान अलग से बनाया गया है

टिप्पणी 1: भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा को तीन स्तरों जोकि वरिष्ठ समयमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा चयन ग्रेड के रूप में मिल रहे मौजूदा लाभ उन्हें मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियों, जो कि प्रत्येक 3 प्रतिशत की

दर से होंगी तथा वेतन बैंड में समायोजित की जाएंगी, के रूप में मिलना जारी रहेंगे ।

टिप्पणी 2: ग्रेड वेतन से केवल एक ही संवर्ग के पदानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण होगा न कि अन्य संवर्गों के बीच ।

(iv) संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के मौजूदा वेतनमान पर 01.01.2006 को आहरित मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा किया जाएगा तथा बाद में इसे 10 के अगले गुणज से पूर्णांकित किया जाएगा । इस प्रकार से प्राप्त संख्या ही संशोधित रनिंग वेतन बैंड में वेतन के रूप में मान्य होगी । सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान के समकक्ष नियत ग्रेड वेतन को संशोधित वेतन बैंड में आकलित वेतन से जोड़ दिया जाएगा । वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आकलित कुल वेतन ही 01.01.2006 को यथा-विद्यमान संशोधित मूल वेतन होगा;

(v) आयोग द्वारा संस्तुत 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वेतनवृद्धि को बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है और आयोग द्वारा वेतन बैंड-3 में उच्चलब्धकों के लिए यथा-संस्तुत 3.5 प्रतिशत की परिवर्तनीय वेतनवृद्धि की दर को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है;

(vi) परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 'कैम्पस' की बंदिश को हटा लिया गया है, जिसके फलस्वरूप, परिसर में रहने वाले कर्मचारी भी परिवहन भत्ता पाने के हकदार होंगे । इसके साथ ही निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता ए-I/ए श्रेणी के नगरों के लिए (400 रुपए से बढ़ाकर) 600 रुपए कर दिया गया है तथा अन्य कस्बों के लिए इसे (300 रुपए से) बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है;

(vii) आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) स्कीम के अंतर्गत 10, 20 तथा 30 वर्षों पर तीन स्तरोन्नयन प्रदान किए जाएंगे । ए.सी.पी. स्कीम समूह 'क' कर्मचारियों पर भी लागू होगी;

(viii) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) में उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) तथा इससे ऊपर के स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति कोटा के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय प्रशासनिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं । तथापि, डी.आई.जी. के पद पर स्तरोन्नत अपर डी.आई.जी. के मौजूदा पदों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के संवर्ग अधिकारियों द्वारा भरा जाना जारी रहेगा;

(ix) केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के लिए वर्ष में एक बार पैनलीकरण तथा संवर्ग समीक्षा आवश्यक होगी; और

(X) समूह 'ख' संवर्गों के संबंध में आयोग की सिफारिशें नीचे लिखे अनुसार संशोधित की जाएंगी: -

(क) वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के प्रविष्टि ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा के बाद दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) और दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के अधिकारियों को वेतन बैंड-2 में नहीं, बल्कि वेतन बैंड 3 में 5400 रुपए का अकार्यात्मक ग्रेड प्रदान किया जाएगा;

(ख) वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के वेतन में चार वर्षों की नियमित सेवा के बाद ही केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा मुख्यालय सेवाओं में अवस्थित अन्य समकक्ष अधिकारियों को भी वेतन बैंड-2 में नहीं, अपितु वेतन बैंड-3 में 5400 रुपए का अकार्यात्मक ग्रेड प्रदान किया जाएगा;

(ग) भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा तथा सभी संगठित लेखा संवर्गों, अनुभाग अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों आदि को आमेलित किया जाएगा तथा उन्हें आयोग द्वारा यथा-संस्तुत वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन में रखा जाएगा । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन के फलस्वरूप लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (ए.ओज़) को 5400 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-2 में रखा जाएगा और वरिष्ठ ए.ओज़ को 5400 रुपए का ग्रेड वेतन देते हुए वेतन बैंड-3 में रखा जाएगा;

(घ) डाक, राजस्व आदि विभागों के समूह 'ख' अधिकारियों को वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन में चार वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड- 2 में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा ।

2. अनुबंध-I के भाग- क में दिए गए विवरण के अनुसार केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए संशोधित वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते आदि के संबंध में आयोग द्वारा संस्तुत सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णय 01 जनवरी, 2006 से लागू होंगे ।

3. महंगाई भत्ते के अलावा अन्य सभी संशोधित भत्ते पहली सितम्बर, 2008 से लागू होंगे ।

4. बकायों के भुगतान के संबंध में आयोग की सिफारिशों में संशोधन इस रूप में किया गया है कि बकायों का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा । पहली किस्त मौजूदा वित्तीय वर्ष (2008-09) में 40 प्रतिशत होगी तथा शेष 60 प्रतिशत राशि अगले वित्त वर्ष (2009-10) में दी जाएगी ।

5. सरकार सहमत है कि रेल मंत्रालय में मास्टर क्राफ्ट्समैन के वेतनमान के संबंध में आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा गठित एक फास्ट ट्रैक कमेटी को सौंप दिया जाए । इस बारे में कोई फैसला होने तक मास्टर क्राप्ट्समैनों पर सामान्य प्रतिस्थापित वेतनमान ही लागू होंगे ।

6. वैयक्तिक अर्थात व्यक्ति-परक, पद-विशिष्ट और संवर्ग-विशिष्ट विसंगतियों की जांच के लिए सरकार ने एक विसंगति समिति के गठन का अनुमोदन कर दिया है । विसंगति समिति को कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वर्ष के भीतर अपना काम खत्म कर दे ।

7. इस संकल्प में शामिल न की गई विभाग विशिष्ट सिफारिशों को संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा ही प्रक्रियायित किया जाएगा और इन मामलों पर सरकार का आदेश वित्त मंत्रालय/अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए प्राप्त किया जाएगा ।

8. पांच विशिष्ट विनियामक निकायों, जोकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हैं, - के अध्यक्षों और पूर्वकालिक सदस्यों को 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए प्रतिमाह (बिना आवास और कार के) के उच्चतर वेतन पैकेज देने संबंधी आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया है । तथापि, विशिष्ट विनियामक प्राधिकरणों में कार्यरत मौजूदा पदधारकों को एक विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे कार और आवास सुविधा के साथ अपने वर्तमान वेतन एवं भत्तों को लेना जारी रखें अथवा कार और आवास के बिना उच्चतर वेतन पैकेज का प्रस्तावित विकल्प स्वीकार करें । अन्य विनियामक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापित वेतनमान ही लागू होंगे ।

9. सरकार ने केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) में कमांडेंट तथा उससे नीचे के अधिकारियों और दुष्कर क्षेत्रों/घुसपैठ ग्रस्त इलाकों तथा ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में तैनात बटालियनों के अन्य रैंकों के लिए एक स्कीम का अनुमोदन सिद्धांत रूप से कर दिया है; क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों में कार्यरत रक्षा बलों के कार्मिकों को भी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को दिए जा रहे डिटैचमेंट तथा अन्य भत्तों का निर्धारण व्यय विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

10. सरकार का निर्णय है कि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में अधिकारियों को सुरक्षा-सहायक का मौजूदा प्रावधान फिलहाल एक निर्धारित तिथि के बाद से जारी नहीं रहेगा । इस बीच अत्यंत अपरिहार्य पदों का सृजन केवल कार्यात्मक औचित्य के आधार पर ही किया जा सकता है । सुरक्षा सहायक के संबंध में लिया गया यह निर्णय अन्य विभागों में समान रूप से स्थित श्रेणियों पर भी लागू होगा ।

11. सरकार ने वास्तविक रूप से अर्हक वैज्ञानिकों को पदोन्नति के समय परिवर्तनीय वेतनवृद्धि प्रदान करने के संबंध में अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के सुझावों को मान लिया है । इसके विस्तृत ब्यौरे वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जाएंगे । सरकार ने वैज्ञानिक 'जी' को पदोन्नति पर 2000 रुपए का विशेष वेतन देने की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा है और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग और जी.आर.डी.ओ. में इस राशि को दुगना कर 4000 रुपए कर दिया है और इन विभागों में 'सी' स्तर से 'एफ' स्तर तक के वैज्ञानिकों को दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है ।

12. डाक्टरों के लिए गतिशील ए.सी.पी. स्कीम 20 वर्षों की नियमित मेडिकल डाक्टर की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतन बैंड-4 का ग्रेड वेतन 10000 रुपए) तक, अथवा वेतन बैंड-4 में 8700 रुपए के अकार्यात्मक ग्रेड वेतन में सात वर्षों की नियमित सेवा करने वाले पर लागू होगी । संगठित सेवाओं से संबंधित अथवा अलग-थलग पदों वाले सभी डाक्टरों को इस डायनैमिक (गतिशील) ए.सी.पी. के तहत् कवर किया जाएगा ।

13. केन्द्रीय सरकार के समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के अन्य मामलों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को इस संकल्प के साथ अनुबंधित विवरण के भाग-ख के कॉलम-3 में दर्शाया गया है । अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में इन मामलों से जुड़े मुद्दों से संबंधित निर्णयों को लागू करने के लिए यथा-उपयुक्त कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाएगी ।

14. आयोग द्वारा की गई वे सिफारिशें जोकि मानी नहीं गई हैं, अनुबंध-II में दी गई हैं ।

15. सरकार का निर्णय है कि आयोग द्वारा संस्तुत कई सिफारिशों की जांच अलग से की जाए तथा उन पर निर्णय अलग से अधिसूचित किए जाएं । इस प्रकार की सिफारिशों की सूची अनुबंध-III में स्थित है ।

16. इन अनुबंधों में शामिल सामान्य किस्म की अन्य सिफारिशों पर निर्णय अलग से अधिसूचित किए जाएंगे ।

17. भारत सरकार आयोग द्वारा किए गए कार्य के लिए आयोग की व्यापक सराहना करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों तथा सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

सुषमा नाथ, सचिव

अनुबंध-I

भाग- क

'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' समूह के सिविल कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों से संबंधित वेतन एवं महंगाई भत्ते पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण पत्र (विवरण में अध्यायों तथा अनुच्छेदों का संदर्भ वेतन आयोग की रिपोर्ट से है) ।

1. वेतन

I. संशोधित वेतनमान

(i) समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों की वेतन संरचना पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में संस्तुत सिफारिशें तथा सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णय को दर्शाने वाला विवरण ।

(रुपए में)

वर्तमान वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान			संशोधित वेतन-संरचना		
क्र. सं.	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300	**-1एस**	**4440-7440**	**1300**
2	एस -2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400	**-1एस**	**4440-7440**	**1400**
3	एस -2क	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600	**-1एस**	**4440-7440**	**1600**
4	एस -3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650	**-1एस**	**4440-7440**	**1650**
5	एस -4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	4860-20200	1800	**वेतन बैंड-1**	**5200-20200**	**1800**
6	एस -5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	4860-20200	1900	**वेतन बैंड-1**	**5200-20200**	**1900**
7	एस -6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	4860-20200	2000	**वेतन बैंड-1**	**5200-20200**	**2000**
8	एस -7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	4860-20200	2400	**वेतन बैंड-1**	**5200-20200**	**2400**
9	एस -8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	4860-20200	2800	**वेतन बैंड-1**	**5200-20200**	**2800**
10	एस -9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**4200**
11	एस -10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**4200**

वर्तमान वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान			संशोधित वेतन-संरचना		
क्र. सं.	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
12	एस -11	6500-200-6900	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**4200**
13	एस -12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**4200**
14	एस -13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	8700-34800	4600	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**4600**
15	एस -14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	8700-34800	4800	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**4800**
16	एस -15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	8700-34800	5400	**वेतन बैंड-2**	**9300-34800**	**5400**
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (ग्रुप ए शुरुआत)	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**5400**
18	एस-16	9000	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**5400**
19	एस-17	9000-275-9550	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**5400**
20	एस-18	10325-325-10975	वेतन बैंड-3	15600-39100	6100	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**6600**
21	एस-19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6100	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**6600**
22	एस-20	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6500	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**6600**
23	एस-21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**7600**
24	एस-22	12750-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7500	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**7600**
25	एस-23	12000-375-18000	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	**वेतन बैंड-3**	**15600-39100**	**7600**
26	एस-24	14300-400-18300	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**8700**
27	एस-25	15100-400-18300	वेतन बैंड-3	15600-39100	8300	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**8700**
28	एस-26	16400-450-20000	वेतन बैंड-3	15600-39100	8400	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**8900**
29	एस-27	16400-450-20900	वेतन बैंड-3	15600-39100	8400	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**8900**
30	एस-28	14300-450-22400	वेतन बैंड-4	39200-67000	9000	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**10000**
31	एस-29	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	39200-67000	9000	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**10000**

वर्तमान वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान			संशोधित वेतन-संरचना		
क्र. सं.	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
32	एस-30	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	39200-67000	11000	**वेतन बैंड-4**	**37400-67000**	**12000**
33	एस-31	22400-600-26000	वेतन बैंड-4	39200-67000	13000	**एच.ए.जी. + स्केल**	**75500-80000**	**शून्य**
34	एस-32	24050-650-26000	वेतन बैंड-4	39200-67000	13000	**एच.ए.जी. + स्केल**	**75500-80000**	**शून्य**
35	एस-33	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य	**शीर्षस्थ वेतनमान**	**80000 (नियत)**	**शून्य**
36	एस-34	30000 (नियत)	मंत्रिमंडल सचिव	90000 (नियत)	शून्य	**मंत्रिमंडल सचिव**	**90000 (नियत)**	**शून्य**

(II) अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमान

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	**भारतीय प्रशासनिक सेवा***	
	8000-13500 रुपए की पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन ।	स्वीकृत ।
	10650-15850 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6500 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया है । इस ग्रेड में पदोन्नति के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी है ।
	12750-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड- 3 में 7500 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया है । इस ग्रेड में पदोन्नति के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी हैं ।
	15100-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड- 3 में 8300 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 8700 रुपए किया गया है तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया है । वेतन बैंड-4 को सुधार कर 37400-67000 रुपए किया गया है । इस ग्रेड में पदोन्नति के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी हैं ।
	18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन बढ़ाकर 10000 रुपए किया गया है । सरकार आई.ए.एस. के सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति के लिए 16 वर्ष की अर्हता बहाल करे जिसे जनवरी, 2008 में घटा कर 14 वर्ष कर दिया गया है था।
	22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया है ।
	80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान	स्वीकृत ।
		संगत आदेश संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे ।
	*भारतीय प्रशासनिक सेवा पर लागू वेतन ढांचा भारतीय विदेश सेवा पर भी लागू होगा ।	

II.	**भारतीय पुलिस सेवा** 8000-13500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन ।	स्वीकृत ।
	10000-15200 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया है ।
	12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया है ।
	14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन को बढ़ाकर वेतन बैंड-4 में 8700 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 को बढ़ाकर 37400-67000 रुपए किया गया है ।
	16400-20000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 8400 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 8900 रुपए किया गया है तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया है ।
	18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 10000 रुपए किया गया है ।
	22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया है । सुपर टाइम स्केल में आई.पी.एस. की पदोन्नति की 18 वर्षों की अर्हता जारी रहेगी ।
	24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	वेतन बैंड-4 में एच.ए.जी.+ के नाम से 75500-80000 रुपए का एक नया वेतनमान बनाया गया है जिसमें वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर पर होगी ।
	80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान ।	80000 रुपए के शीर्षस्थ वेतनमान में पुलिस बल प्रमुख के रूप में पुलिस महानिदेशक का एक पद प्रत्येक राज्य संवर्ग में प्रदान करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियमों को यथा-उपयुक्ततः संशोधित किया जाएगा ।
	सशस्त्र सीमा बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में महानिदेशक के पदों को शीर्षस्थ वेतनमान में स्तरोन्नत करना ।	स्वीकृत ।
		संगत आदेश संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे ।

III.	**भारतीय वन सेवा** 8000-13500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 5400 रुपए (15600-39100 रुपए) का ग्रेड वेतन ।	स्वीकृत ।
	10000-15200 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया ।
	12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया ।
	14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 8700 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया । वेतन बैंड-4 संशोधित करके 37400-67000 रुपए किया गया ।
	16400-20000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 8400 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 8900 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया ।
	18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 10000 रुपए किया गया ।
	22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया ।
	24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	वेतन बैंड-4 में से निकाल कर एच.ए.जी+ के रूप में पदनामित कर 75500 - 80000 रुपए का नया वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)।
	80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान ।	भारतीय वन सेवा वेतन नियमों को प्रत्येक राज्य संवर्ग में 80,000 रुपए के शीर्षस्थ वेतनमान में वन सेवा के प्रमुख के तौर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का एक पद समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा । संगत आदेश संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे ।,

III. समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के वेतनमान

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	**समूह 'क' केन्द्रीय सेवाएं** 8000-13500 के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 (15600-39100) में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन ।	स्वीकृत ।
	10000-15200 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया ।
	12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया ।
	14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 8700 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया । वेतन बैंड-4 संशोधित करके 37400-67000 रुपए किया गया ।
	18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 10000 रुपए किया गया ।
	22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया ।
	22400-26000 रुपए तथा 24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन ।	वेतन बैंड-4 में से निकाल कर एच.ए.जी+ के रूप में पदनामित करते हुए 75500-80000 का नया वेतनमान (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
	80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान ।	स्वीकृत ।
	जब कभी एक विशिष्ट बैच के आई.ए.एस. अधिकारी की तैनाती केन्द्र में वेतन बैंड-3 अथवा वेतन बैंड 4 वेतन बैंडों में निर्धारित ग्रेड वेतन पर होती है, तो संगठित समूह 'क' सेवाओं के बैचों से संबंधित उन अधिकारियों को अकार्यात्मक आधार पर सरकार द्वारा उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए जो कि दो अथवा इससे अधिक वर्षों से वरिष्ठ हैं ।	स्वीकृत । यह अपने-अपने राज्य संवर्गों में भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा पर भी लागू होगा जिनके लिए संगत संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे ।
	विभिन्न संगठित समूह 'क' सेवाओं में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता मानदण्ड एक समान होने चाहिए ।	स्वीकृत ।

(IV) विनियामक निकायों के अध्यक्षों तथा पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन एवं भत्ते ।

क्र.सं.	**छठे वेतन आयोग की सिफारिशें**	**सरकार का निर्णय**
i.	सामान्यत: विनियामक निकायों के वर्तमान सदस्यों को सामान्य प्रतिस्थापित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन दिए जाने की मौजूदा स्वीकृत दरों को संशोधित करके सरकारी कर्मचारियों के समनुरूप वर्गों के बराबर करने की सिफारिश है (पैरा सं. 8.1.7) ।	स्वीकृत ।
ii.	पांच विशिष्ट विनियामक निकायों, नामत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा भारतीय प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन एवं भत्तों को सरकारी वेतनों से हटाया जाए तथा परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों को 1,50,000 रुपए प्रतिमाह का समेकित वेतन अदा किया जाए, जबकि अध्यक्ष को 2,00,000 रुपए प्रति माह अदा किया जाए, यदि एक कार व आवास दिया गया है तो अगर कोई कार व आवास नहीं दिया गया है तो अध्यक्ष को 3,00,000 रुपए प्रतिमाह तथा सदस्यों को 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन अदा किया जाए (पैरा सं. 8.1.7) ।	पांच विशिष्ट विनियामक निकायों के अध्यक्षों तथा पूर्णकालिक सदस्यों के लिए 2.5 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए प्रतिमाह (आवास एवं कार के बगैर) के उच्चतर वेतन पैकेज के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं । तथापि, इन विनियामक निकायों में मौजूदा पदधारकों को कार व आवास के साथ मौजूदा वेतन एवं भत्तों में बने रहने अथवा आवास व कार के बिना उच्चतर वेतन पैकेज में चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा ।

(V) वेतन बैंडों तथा ग्रेड वेतनों की संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए फार्मूला

क्र.सं.	**छठे वेतन आयोग की सिफारिशें**	**सरकार का निर्णय**
i.	रिपोर्ट के पैरा 2.2.21(i) से (V) तक में बताए गए तरीके से वेतन के प्रस्तावित वेतनमानों में कर्मचारियों का वेतन नियत किया जाए ।	निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत: (क) परिशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन मौजूदा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों पर 01.01.2006 की यथाविद्यमान स्थिति तक आहरित मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके और फिर उसके बाद 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा न कि 1.74 के गुणक से गुणा करके जैसा कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई है । (ख) चिकित्सकों के मामले में परिशोधित वेतन बैंडों में उनका वेतन नियत करते समय प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते का ध्यान रखा जाएगा ।

ii.	क) यद्यपि, 1एस वेतनमान नियमित वेतनमान नहीं है, आरंभ में सभी समूह 'घ' कर्मचारियों को उपयुक्त ग्रेड वेतन के साथ - 1एस वेतनमान में रखा जाए । यह वेतनमान मुख्यत: उन समूह 'घ' कर्मचारियों के आरंभिक वेतन के नियतन के प्रयोजन से बनाया गया है जो सरकार द्वारा इस सिफारिश के कार्यान्वयन की तारीख से यथास्थिति तक पहले से ही नियमित आधार पर भर्ती किए जा चुके थे ।	स्वीकृत ।
	ख) उसके उपरांत, ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जो 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ समूह 'ग' वेतन बैंड में प्रवेश के लिए निर्धारित संशोधित न्यूनतम अर्हता पहले से ही रखते हैं, उनको उस ग्रेड में (अर्थात् 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 4860-20200 रुपए के वेतन बैंड में) 01.01.2006 से रखा जाएगा । इस नियतन के लिए फिर से कोई फिटमेंट लाभ नहीं दिया जाएगा ।	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए होगा ।
	ग) समूह 'घ' के वे मौजूदा कर्मचारी जो निर्धारित की गई न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें पुन: प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत होगी तथा उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अलग से एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने के जरूरत होगी । बहुदक्षता पर बल देने के साथ पुनर्प्रशिक्षण के बाद, समूह 'घ' कर्मचारियों को 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 4860-20200 रुपए के वेतन बैंड, वेतन बैंड-1में रखा जाएगा । एक बार वेतन बैंड-1 वेतन बैंड में रखे जाने के बाद समूह 'घ' कर्मचारियों का यह वर्ग समूह 'घ' कर्मचारियों के अन्य वर्ग जो कि पहले से ही न्यूनतम निर्धारित अर्हता रखता था, और इस कारण तत्काल वेतन बैंड-1 में रख दिया गया था, की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुन: ग्रहण कर लेगा ।	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए होगा ।
	घ) पूर्व के सभी समूह 'घ' कर्मचारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के उच्चतर वेतनमान में समूह 'घ' कर्मचारियों के साथ, जिन्हें निचले वेतनमान में कर्मचारी की तुलना में ऊंचा रखा जा रहा है, पूरी तरह से व्यवस्थित रखी जाएगी । उसी पूर्व-संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता नियत करने का आधार वह तारीख होगी जिस पर व्यक्ति उस वेतनमान में रखा गया है ।	स्वीकृत ।
	ङ) निर्धारित अर्हता रखने वाले तथा निर्धारित अर्हता न रखने वाले दोनों ही मामलों में समूह 'घ' कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान दिनांक 01.01.2006 से किया जाएगा । निर्धारित अर्हता नहीं रखने वाले कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण लघु अवधि में ही अधिमानत: पूरा कर लिया जाना चाहिए, लगभग 6 माह में, ताकि वेतन बैंड-1 में नियतन तथा बकाया राशि की अदायगी में बेवजह विलम्ब न हो ।	स्वीकृत ।

(VI) लागू होने की तारीख

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	वेतन बैंडों तथा ग्रेड वेतन का संशोधित ढांचा दिनांक 01.01.2006 से लागू किया जाएगा (पैरा 6.5.2) ।	स्वीकृत ।

(VII) वार्षिक वेतनवृद्धियां

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	वार्षिक वेतनवृद्धि की दर: सभी रनिंग वेतन बैंडों में वार्षिक वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन तथा समनुरूप ग्रेड वेतन के कुल जोड़ के 2.5 प्रतिशत के रूप में होगी (पैरा 2.2.11) ।	आयोग द्वारा संस्तुत 2.5 प्रतिशत को संशोधित करके 3 प्रतिशत कर दिया गया है ।
(ii)	समूह 'क' वेतन बैंड पी.बी.-3 के लिए बैंड में वार्षिक वेतनवृद्धि निष्पादन पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होगी । ग्रेड में कम से कम 80 प्रतिशत कर्मचारियों को 2.5 प्रतिशत की दर से सामान्य वेतनवृद्धि दी जाएगी तथा वर्ष के दौरान बेहतर निष्पादन करने वाले 20 प्रतिशत कर्मचारियों 3.5 प्रतिशत की उच्चतर दर से वेतनवृद्धि दी जा रही है (पैरा 2.2.12) ।	वेतन बैंड-3 में बेहतर काम करने वालों के लिए परिवर्तनीय वेतनवृद्धि को आयोग द्वारा संस्तुत 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया गया है ।
(iii)	वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख: सभी मामलों में वार्षिक वेतनवृद्धि 01 जुलाई होगी । 01 जुलाई की स्थिति तक वेतनमान में छह माह और इससे अधिक पूरा कर लेने वाले कर्मचारी, इस प्रकार से वेतनवृद्धि के पात्र होंगे (पैरा 2.2.11) ।	संशोधित । वार्षिक वेतनवृद्धि की दो एक समान तारीखें होंगी, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी तथा 01 जुलाई । सभी कर्मचारियों को अपनी वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को मिलेगी ।

(VIII) बकाया राशि का भुगतान

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
i.	सरकार बकाया राशि का भुगतान अलग-अलग वर्षों में दो बराबर किस्तों में कर सकती है (पैरा 10.1.15) ।	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि बकाया राशि का भुगतान नकद रूप में दो किस्तों में किया जाएगा । चालू वित्त वर्ष (2008-09) के दौरान 40 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष (2009-10) में शेष 60 प्रतिशत ।

2. मूल्य वृद्धि हेतु प्रतिपूर्ति (महंगाई भत्ता)

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
i.	सरकार के वर्तमान निर्धारित आधार सूचकांक प्रणाली में नियत आधार वर्ष में जहां तक संभव हो बार-बार संशोधन करते रहना चाहिए (पैरा 4.1.10) ।	स्वीकृत ।
ii.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से शामिल करते हुए एक विशिष्ट सर्वेक्षण की संभावना तलाशने के लिए कहा जाए जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का	स्वीकृत ।

	उपभोग बास्केट तैयार किया जा सके और अलग से एक सूचकांक बनाया जा सके । इस बीच, सरकार महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए बाद के पैराग्राफों में प्रस्तावित संशोधनों की शर्त पर ए.आई.सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.) का उपयोग जारी रख सकती है (पैरा 4.1.13) ।	
iii.	आधार वर्ष 2001 के साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई. डब्ल्यू.) अब आगे से महंगाई भत्ता परिकलन करने के प्रयोजन से तब तक उपयोग किया जाएगा जब तक कि यह संशोधित नहीं होता । दिनांक 01.01.2006 से महंगाई भत्ते के परिकलन हेतु संदर्भ आधार ए.आई.सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.), 1982 श्रृंखला के अनुसार 536 का 12 मासिक औसत सूचकांक होगा । इसे, जब 2001 श्रृंखला में बदला जाता है तो, 4.63 के लिंकिंग फैक्टर का उपयोग करते हुए 116 निकलता है (पैरा 4.1.14) ।	स्वीकृत । 2001 श्रृंखला का उपयोग करते हुए आधार 115.76 निकलता है । टिप्पणी: 01.01.2006 से मंजूर महंगाई भत्ते की किस्त को वेतनमानों के कारण परिशोधित फार्मूले/बकाया के तहत् अदा किए जाने वाले महंगाई भत्ते की तुलना में समायोजित की जाएगा ।
iv.	वर्तमान ए.आई.सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.) श्रृंखला के निर्माण में आई विकृति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा त्वरित उपायों को अमल में लाना सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से एक सूचकांक तैयार करते समय राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन इस तथ्य को ध्यान में रखें (पैरा 4.1.14) ।	स्वीकृत
v.	किसी भी स्थिति में मूल वेतन में महंगाई भत्ते का आमेलन करने की संस्तुति नहीं है (पैरा 4.1.18) ।	स्वीकृत ।
vi.	महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार यथा 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को मंजूर किया जाना तथा सभी स्तरों पर मुद्रास्फीति तटस्थता 100 प्रतिशत बरकरार रखते हुए इसकी अदायगी प्रशासनिक सुविधा के लिए क्रमश: मार्च और सितम्बर के वेतन के साथ की जानी जारी रखी जाए (पैरा 4.1.19) ।	स्वीकृत ।

3. प्रैक्टिस-बंदी भत्ता

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	डाक्टरों को बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन के औसत की मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर एन.पी.ए. मिलता रहेगा बशर्ते कि मूल वेतन+एन.पी.ए. 85,000 रुपए से अधिक न हो । एन.पी.ए. की सुविधा किसी अन्य वर्ग को प्रदान नहीं की जा सकती । प्रैक्टिसबंदी भत्ता केवल उन पदासीन चिकित्सकों तक ही सीमित होना चाहिए जिन पदों के लिए चिकित्सकीय डिग्री की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है (पैरा 4.2.53) ।	स्वीकृत ।

4. सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	आयोग ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा स्कीम को वर्तमान में दो वित्तीय स्तरोन्नयनों के साथ निम्नलिखित संशोधनों सहित बरकरार रखा जा सकता है:-	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि ए.सी.पी. स्कीम के तहत् सेवा के 10, 20 और 30 वर्षों के पश्चात् तीन स्तरोन्नयन दिए जाएंगे ।

	i) यह स्कीम सभी समूह 'क' पदों के लिए उपलब्ध होगी चाहे ये पद अलग-थलग हों या न हों । तथापि, संगठित समूह 'क' सेवाएं इस स्कीम के तहत् कवर नहीं की जाएंगी ।	स्वीकृत ।
	ii) सामान्य पदोन्नति के समय मिलने वाला वेतन नियतन का लाभ इस स्कीम के तहत् वित्तीय स्तरोन्नयनों के समय मिलेगा । अत: इस स्कीम के तहत् वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन तथा ग्रेड वेतन में 2.5 प्रतिशत वृद्धि होगी ।	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वेतनवृद्धि की दर 3 प्रतिशत होगी ।
	iii) इस स्कीम के तहत् ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के समय परिवर्तित होगा । ए.सी.पी. के तहत् वित्तीय स्तरोन्नयन के समय दिए जाने वाला ग्रेड वेतन संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में तुरंत अगला उच्चतम ग्रेड वेतन होगा । अत: कुछ मामलों में, जहां दो क्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित पदोन्नति नहीं है वहां ए.सी.पी. के तहत् वित्तीय स्तरोन्नयन के समय ग्रेड वेतन, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग होगा । ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदानुक्रम में अगले पदोन्नत पद का उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा ।	स्वीकृत ।
	iv) व्यक्ति के उसी ग्रेड में लगातार 12 वर्ष पूरे करने पर उसे इस स्कीम के तहत् वित्तीय स्तरोन्नयन मिलेगा । तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत पूरे करियर में दो से अधिक वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान नहीं किए जाएंगे ।	इसमें यह संशोधन किया गया है कि व्यक्ति के उसी ग्रेड में लगातार 10 वर्ष पूरे करने पर उसे वित्तीय स्तरोन्नयन दिया जाएगा । इसके आगे सेवा के 10, 20 तथा 30 वर्ष पूरे होने पर तीन स्तरोन्नयन दिए जाएंगे ।
	उपरोक्त संशोधनों सहित इस स्कीम को संशोधित ए.सी.पी. स्कीम कहा जाएगा तथा यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का एक समान प्रोन्नयन सुनिश्चित करेगी (पैरा. 6.1.15) ।	

5. **निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम**

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	आयोग ने नियमित वेतन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ पर आधारित तथा निष्पादन से जुड़ी एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत की है । इस लाभ को निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (प्रिस) कहा जाएगा तथा इसमें विचारणीय अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए कामकाज के निष्पादन को ध्यान में रखा जाएगा । यह स्कीम विशिष्ट काम-काज के लिए विशिष्ट पुरस्कार के सिद्धांत पर आधारित है (पैरा 2.5.8) ।	स्वीकृत । नोडल मंत्रालय द्वारा इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे । विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिकों के लिए प्रिस स्कीम तैयार करेगा ।

भाग -ख

समूह क, ख, ग और घ के सिविल कर्मचारियों से संबंधित अन्य भत्तों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णय को दर्शाने वाला विवरण । (विवरण में दिए गए अध्याय और पैराग्राफों के संदर्भ वेतन आयोग की रिपोर्ट से हैं) ।

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1	**नगर प्रतिपूर्ति भत्ता**	
	नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को समाप्त किया जाए (पैरा 4.2.8)	स्वीकृत ।
2	**अन्य प्रतिपूर्ति भत्ते**	
(i)	विशेष प्रतिपूर्ति भत्तों की दरें (पहाड़ी क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र), जनजातीय क्षेत्र भत्ता, परियोजना भत्ता और खराब जलवायु भत्ता को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए विशेष प्रतिपूर्ति (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता/खराब जलवायु भत्ता/आदिवासी क्षेत्र भत्ता	स्वीकृत ।

श्रेणी	खराब जलवायु/ आदिवासी क्षेत्र भत्ता	विशेष प्रतिपूर्ति (पहाड़ी क्षेत्र भत्ता)
5400 रुपए और उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	400 रुपए प्रतिमाह	600 रुपए प्रतिमाह
अन्य पदों के लिए	240 रुपए प्रतिमाह	480 रुपए प्रतिमाह

(पैरा संख्या 4.2.24.1)

(ii)	विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता	स्वीकृत ।

श्रेणी	भाग क (रुपए प्रतिमाह)	भाग ख (रुपए प्रतिमाह)	भाग ग (रुपए प्रतिमाह	भाग घ (रुपए प्रतिमाह)
5400 रुपए और उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	2600	2100	1500	400
5400 रुपए से कम ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	2000	1600	1200	320

(पैरा संख्या 4.2.24.2)

(iii)	परियोजना भत्ता	स्वीकृत ।

श्रेणी	परियोजना भत्ता
5400 रुपए और उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	1500 रुपए प्रतिमाह
5400 रुपए से कम ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	1000 रुपए प्रतिमाह

(पैरा संख्या 4.2.24.3)

(iv)	संशोधित वेतन बैंडों पर देय मंहगाई भत्ता जब कभी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, वैसे ही उपर्युक्त सभी भत्तों की दरें 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी । (पैरा संख्या 4.2.24.4)	स्वीकृत ।
(v)	गांधीनगर के लिए विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता और विशेष प्रतिपूर्ति (सीमा क्षेत्र) भत्ता समाप्त किया जाए । (पैरा संख्या 4.2.24.5)	स्वीकृत ।
(vi)	केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनाती के लिए देय विशेष (ड्यूटी) भत्ता किसी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरण पर उनकी तैनाती हेतु मौजूदा दरों पर दिया जाए, फिर चाहे स्थानांतरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर से हो अथवा उस क्षेत्र के किसी अन्य क्षेत्र से हो । शर्त यह है कि अखिल भारतीय स्थानांतरण को दायित्व रखने वाले सभी कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए । इस भत्ते की दर में किसी भी वृद्धि की सिफारिश नहीं की जा रही है, चूँकि भत्ता वेतन की प्रतिशतता के रूप में अदा किया जाता है । आयोग ने सिफारिश की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमत विशेष (ड्यूटी) भत्ता और अन्य रियायतें लद्दाख में तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाएं (पैरा संख्या 4.2.25) ।	स्वीकृत ।
(vii)	द्वीप -विशेष (ड्यूटी) भत्ता के संबंध में कोई परिवर्तन न करने की सिफारिश की गई है । आगे से यह भत्ता उन्हीं केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाए जिसका अखिल भारतीय स्थानांतरण का दायित्व न होने के बावजूद उन्हें किसी स्थान से इन द्वीपों में स्थानांतरण पर तैनात किया गया हो (पैरा संख्या 4.2.26) ।	स्वीकृत ।
(viii)	निकोबार द्वीपसमूह में तैनात कर्मचारियों को दुष्कर क्षेत्र भत्ता, द्वीप-विशेष (ड्यूटी) भत्ता के साथ-साथ अलग से दिया जाए । इसके अतिरिक्त, यह भत्ता लक्षद्वीप द्वीपसमूह में भी दिया जाए (पैरा संख्या 4.2.26) ।	स्वीकृत । यह भत्ता लक्षद्वीप में समान रूप से वर्गीकृत द्वीपसमूहों को दिया जाएगा ।
3	**परिवहन भत्ता** आयोग ने परिवहन भत्ते के लिए निम्नलिखित दरों की सिफारिश की है:	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए "कैम्पस" संबंधी बंदिश को हटा लिया जाएगा । परिणामस्वरूप, परिसरों में रहने वाले कर्मचारी भी परिवहन भत्ता लेने के हकदार हो जाएंगे । इसके अतिरिक्त, निम्नतम स्तर के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता ए-1/ए, वर्ग के शहरों में (400 रुपए) से बढ़कर 600 रुपए हो जाएगा ।

	(रुपए) का ग्रेड वेतन ले रहे कर्मचारी	परिवहन भत्ते की दर प्रतिमाह		इसके अतिरिक्त, वेतन बैंड में वेतन के रूप में 7440 रुपए और इससे अधिक (पूर्व-संशोधित वेतनमानों में 4000 रुपए के तदनुरूप) वेतन वाले पी.बी.-1 के कर्मचारी 1600 रुपए/800 रूपए की दर के परिवहन भत्ता लेने के हकदार होंगे ।
		ए-1/ए वर्ग का शहर (रुपए)	अन्य स्थान (रुपए)	
	5400 रुपए और उससे अधिक तथा शीर्षस्थ वेतनमान वाले पदों तथा मंत्रिमण्डल सचिव/समकक्ष पद	3200 रुपए + उस पर महंगाई भत्ता	1600 रुपए + उस पर महंगाई भत्ता	
	4200 से 4800*	1600 रुपए+ उस पर महंगाई भत्ता	800 रुपए + उस पर महंगाई भत्ता	
	4200 रुपए से कम	400 रुपए+ उस पर महंगाई भत्ता	300एए+ उस पर महंगाई भत्ता	
	* ऑफिसर रैंक से नीचे के समूह ख, ग, और घ के वे कर्मचारी/कार्मिक, जो 4000 रुपए और उससे अधिक संशोधित -पूर्व मूल वेतन ले रहे हैं (पैरा 4.2.43) ।			
	जिन कर्मचारियों को कार्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी आवास मुहैया कराया गया है, को परिवहन भत्ता प्रदान करने से रोकने वाली मौजूदा शर्त को हटाया जाए । इस भत्ते को प्रदान करने वाली अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी सामान्य दरों से दुगुनी दरों पर इस भत्ते को लेते रहेंगे । तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के मामले में परिवहन भत्ता, किसी भी सूरत में 1000 रुपए प्रतिमाह जमा महंगाई भत्ते की ग्राह्य दर से कम नहीं होगा । वेतन बैंड पी.बी. -4 के वे कर्मचारी , जो आवास और कार्यालय के बीच यात्रा करने के लिए सरकारी कार का उपयोग करने के हकदार हैं, को 7000 रुपए प्रतिमाह की उच्चतर दर पर परिवहन भत्ता जमा महंगाई भत्ता लेने का विकल्प दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए सरकारी कार का उपयोग छोड़ दें । (पैरा संख्या 4.2.44)			
4 (i)	**मकान किराया भत्ता** आयोग ने "ग" वर्ग के शहरों (50,000 से 5 लाख तक की आबादी वाले) को "अवर्गीकृत नगरों" (50,000 से कम आबादी वाले) के साथ आमेलित करने की सिफारिश की है ।			स्वीकृत ।

<table>
<tr><td>(ii)</td><td>आयोग ने सिफारिश की है कि मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ नगरों और शहरों को वर्गीकृत करने के लिए मौजूदा जनसंख्या मापदण्डों को कायम रखा जाए । तथापि, मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु किसी शहर के वर्गीकरण के लिए शहरी बस्तियों की आबादी को भी जोड़ा जाए ।</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>आयोग ने ए-1 शहरों में रनिंग वेतन बैंड और उस पर देय ग्रेड वेतन में कुल संशोधित वेतन को 30 प्रतिशत की दर पर अदा किए जाने वाले मकान किराए भत्ते की मौजूदा दर को प्रतिधारित करने की सिफारिश की है ।</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>आयोग ने सिफारिश की है कि तत्कालीन ए, बी-1 और बी-2 श्रेणियों को आमेलित कर दिया जाए तथा सी और अवर्गीकृत श्रेणियों को भी आमेलित कर दिया जाए । मकान किराया भत्ते की निम्नलिखित दरें तदनुसार संस्तुत की गई हैं:
<table>
<tr><th>आबादी के मानदण्डों के आधार पर शहरों और नगरों का संशोधित वर्गीकरण</th><th>शहरों/नगरों का संशोधित वर्गीकरण</th><th>वेतन बैंड+ ग्रेड वेतन+ एम.एस.पी.*+एन.पी.ए.* में वेतन की प्रतिशतता के रूप में एच.आर.ए. की दरें</th></tr>
<tr><td>50 लाख और उससे अधिक</td><td>X
(पूर्व में ए-1 के रूप में वर्गीकृत)</td><td>30</td></tr>
<tr><td>50-5 लाख</td><td>Y
(पूर्व में ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत)</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5 लाख से कम</td><td>Z
(पूर्व में सी और अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत)</td><td>10</td></tr>
</table>
*जहां कहीं लागू हो (पैरा संख्या 4.2.59)</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शिशु शिक्षा भत्ता
शिशु शिक्षा भत्ता और ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति को आमेलित कर दिया जाए तथा आगे से प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह के हिसाब से हो, बशर्ते कि यह अधिकतम दो बच्चों तक हो । छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 3000 रुपए प्रतिमाह प्रति शिशु की जाए । संशोधित वेतन बैंडों पर महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, तब हर बार यह सीमा स्वयमेव 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी (पैरा संख्या 4.2.64) ।</td><td>स्वीकृत ।</td></tr>
</table>

6	**जोखिम भत्ता**	
(i)	आयोग, तदनुसार, जोखिम भत्ते को समाप्त करने की सिफारिश करता है । उन सभी प्रकार के कार्यों, जिनमें एक समयावधि के बाद स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव डालने वाले जोखिम के स्वाभाविक तत्व मौजूद होते हैं, के लिए वेतन बैंड पी.बी.-1 के कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा और 5 लाख रुपए ; वेतन बैंड पी.बी.-2 के कर्मचारियों के लिए 7 लाख रुपए; पी.बी.-3 उच्चतर वेतन बैंडों के वेतनमानों के कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए । मुद्रा-स्फीति के प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने के लिए संशोधित वेतन पर देय महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाए तो हर बार बीमा की राशि स्वयमेव 50 प्रतिशत बढ़ जानी चाहिए । इस बीमा के प्रीमियम को अदा करने पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । रोजगार अर्थात सेवा काल के दौरान किसी भी प्रकार की गंभीर चोट लगने/मृत्यु होने की स्थिति में बीमा की राशि अदा कर दी जाएगी तथा यह सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को उपलब्ध अन्य सभी लक्ष्यों के अतिरिक्त होगी । इन कर्मचारियों को उचित स्वास्थ्य-लाभ के लिए जब भी आवश्यक हो, प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य स्वास्थ्य-जाँच और वर्धित छुट्टी के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य-लाभ भी दिए जाने चाहिएं । सरकार को इन कार्यों में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा देखभाल का उच्चतम स्तर भी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनमें निहित जोखिम को कम से कम किया जा सके । (पैरा संख्या 4.2.68)	जोखिम बीमा स्कीम की शुरुआत कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद 1.4.2009 से तथा 31 मार्च, 2009 तक जोखिम भत्ता को जारी रखा जाना ।
(ii)	**अस्पताल-रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता** आयोग ने सरकारी दायित्वों को निभाते समय जोखिम का सामना करने वाले कर्मचारियों की ऐसी सभी श्रेणियों को अलग से पर्याप्त बीमा सुरक्षा देने की सिफारिश की है । यह बीमा सुरक्षा उन सभी श्रेणियों को दी जानी चाहिए, जिन्हें इस समय एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. मिल रहा है । साथ ही साथ, एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. को वापिस ले लिया जाए चूँकि उपयुक्त बीमा सुरक्षा देकर जब जोखिम-घटक कवर हो जाता है तो इन भत्तों का मौजूद रहना औचित्यपूर्ण नहीं होगा । इस मद पर कर्मचारियों द्वारा उठायी गई हानि समूह "घ" के उन मौजूदा कर्मचारियों, को की गई क्षतिपूर्ति की तुलना में अधिक होगी जो समूह "ग" में स्तरोन्नत कर दिये जाएंगे । समूह "ग" के कर्मचारियों को इस हानि की क्षतिपूर्ति निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम के रूप में की जाएगी । (पैरा संख्या 3.6.18)	जोखिम बीमा स्कीम की शुरुआत कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद 1.4.2009 से तथा 31 मार्च, 2009 तक एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. जारी रहेगा ।
7 (i)	**वर्दी संबंधी भत्ते** सी.पी.एम.एफ./सी.पी.ओज./आर.पी.एफ./आई.पी.एस. कार्मिकों और अधिकारियों के लिए आयोग ने वर्दी भत्ते की निम्नलिखित दरों की सिफारिश की है:	स्वीकृत ।

अनुदान	दर
प्रारंभिक अनुदान	14000 रुपए
नवीकरण अनुदान	3000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)

(पैरा संख्या 4.2.73 और 74)

(ii)	तटरक्षक अधिकारियों के लिए वर्दी भत्ते की निम्नलिखित दरों की संस्तुति की है: अनुदान — राशि प्रारंभिक अनुदान — 16000 रुपए नवीकरण अनुदान — 5000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय) (पैरा संख्या 4.2.75)	स्वीकृत ।
(iii)	इस समय किट रख-रखाव भत्ता ले रहे कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए इस भत्ते की मौजूदा दरों को दुगुना किया जाए । नर्सों के लिए भी वर्दी भत्ता बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह किया जाए । (पैरा संख्या 4.2.76)	स्वीकृत ।
(iv)	जब भी संशोधित वेतन बैंडों पर महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा तब हर बार उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए वर्दी भत्ता और किट रख-रखाव भत्तों की दरें 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगी । (पैरा संख्या 4.2.77)	स्वीकृत ।
8	**विविध भत्ते** आयोग ने साइकिल भत्ते,धुलाई भत्ते, रोकड़-संभाल भत्ता, विशेष भत्ता, रात्रि ड्युटी भत्ता और स्प्लिट ड्यूटी भत्ता की मौजूदा दरों को दुगुना करने की सिफारिश की है । इसी प्रकार, विशिष्ट रूप से इस रिपोर्ट में कवर नहीं हुए विभिन्न संगठनों/विभागों/संगठनों के लिए भत्तों की दरें भी दुगुनी हो जाएंगी । संशोधित वेतनमानों पर देय महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, तब हर बार इन भत्तों की दरें 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी । साथ ही, अब से मशीन भत्ता समाप्त कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.2.81)	स्वीकृत ।
9	**रखवाली (केयरटेकिंग) भत्ता** आगे से रखवाली भत्ते की राशि, वेतन बैंड में वेतन और उस पर ग्रेड वेतन की औसत राशि पर, 10 प्रतिशत की दर से अदा की जाएगी । (पैरा 3.8.8)	स्वीकृत ।
10	**प्रशिक्षण अकादमियों एवं स्टॉफ कालेजों में प्रशिक्षण भत्ता और सत्कार भत्ता**	
(i)	सरकार, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए उन प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता मूल वेतन का 30 प्रतिशत कर दिया जाए जो राष्ट्रीय समूह "क" अधिकारियों के केन्द्रीय प्रशिक्षण अकादमियों और संस्थानों में बतौर संकाय सदस्य कार्य कर रहे हैं । यह भत्ता प्रशिक्षक को उस अवधि के लिए भी दिया जाए जब वह प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों से संबंधित अध्ययन दौरे पर हो । इन प्रशिक्षकों को अलग से प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा । इसे अन्य प्रशिक्षण संस्थापनाओं के लिए मौजूदा दर पर जारी रखा जा सकता है । (पैरा 6.4.6)	स्वीकृत ।

(ii)	समूह "क"अधिकारियों की इन राष्ट्रीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापनाओं के निदेशक अथवा प्रधान के लिए सत्कार भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह किया जाए तथा पाठ्यक्रम निदेशकों और काउंसलर्स को भी क्रमश: 2500 रुपए और 2000 प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता दिया जाए । (पैरा संख्या 6.4.6)	स्वीकृत ।
11	**सावकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)**	
(i)	केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को चार वर्ष के एक ब्लॉक में तीन बार अपने परिवारों के साथ अपने गृह नगर जाने तथा चौथी बार भारत में किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति दी जाए । यह सुविधा सरकारी अधिकारियों को पहली बार सरकारी सेवा में आने के बाद स्वीकार्य चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए ही मिलेगी । 4 वर्षों के ब्लॉक सरकार में ज्वाइनिंग की प्रारंभिक तारीख के संदर्भ में लागू होंगे चाहे कर्मचारी बाद में सरकार के भीतर अपनी नौकरी बदल ले । मौजूदा ब्लॉक वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन नए रंगरुटों की हकदारी सेवा के पहले आठ वर्षों अलग होगी । एल.टी.सी. के तहत यात्रा की बारम्बारता से संबंधित अन्य सभी प्रावधानों को प्रतिधारित किया जाए (पैरा संख्या 4.3.5) ।	स्वीकृत ।
(ii)	यात्रा संबंध पात्रता, चाहे सरकारी दौरे/ स्थानांतरण अथवा एल.टी.सी. के प्रयोजनार्थ हो, वही रहनी चाहिए लेकिन एल.टी.सी. पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त,यह सुविधा सरकार अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे वाहनों द्वारा निष्पादित यात्राओं के संबंध में ही स्वीकार्य होगी (पैरा संख्या 4.3.6) ।	स्वीकृत ।
(iii)	माता-पिता और /अथवा सौतेले माता-पिता (सौतेली माता और सौतेला पिता), जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हों, को एल.टी.सी. के प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में इस बात पर ध्यान दिए बगैर शामिल किया जाएगा कि वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं अथवा नहीं । निर्भरता की परिभाषा को सभी प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से लिंक किया जा रहा है । तदनुसार, वे सभी माता-पिता और/अथवा सौतेले माता-पिता जिनकी सभी स्रोतों से कुल आय केन्द्र सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है, इस प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में शामिल होंगे । विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त/पृथक/विधवा पुत्रियों सहित परिवार में शामिल अन्य संबंधों के संबंध में वर्तमान शर्तें बगैर किसी परिवर्तन के जारी रहेंगी (पैरा संख्या 4.3.7) ।	स्वीकृत ।

(iv)	हालांकि, एल.टी.सी. के साथ 10 दिन तक के अर्जित अवकाश, अधिक से अधिक कुल 60 दिन, को भुनाना जारी रखा जाए, फिर भी एल.टी.सी. का लाभ उठाते समय भुनाई गई छुट्टी सेवा-निवृत्ति के समय भुनाने-योग्य अर्जित अवकाश की अधिकतम राशि में से नहीं काटी जानी चाहिए । परिणामस्वरूप, कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय 300 दिन को अर्जित अवकाश को भुनाने के हकदार हो जाएंगे, उन्होंने एल.टी.सी., चाहे अपने गृह नगर के लिए लिया हो अथवा भारत में किसी भी स्थान के लिए लिया हो, लेते समय अपने कॅरियर के दौरान 60 दिन तक का अर्जित अवकाश भुना सकते हैं । जहां तक रेलवे का संबंध है, कर्मचारियों को इस नकदीकरण का लाभ उठाने की अनुमति पासों का लाभ लेते समय सम्पूर्ण कॅरियर में अधिकतम 60 दिन के लिए दी जानी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि लगातार नकदीकरण दो वर्ष की न्यूनतम अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया जा सकता (पैरा संख्या 4.3.8) ।	स्वीकृत ।
12	**सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए राशन मनी भत्ता**	
	सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए राशन मनी भत्ते का भुगतान रक्षा बलों को उपलब्ध भत्ते के बराबर होना चाहिए । राशन मनी भत्ते का भुगतान सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों की केवल उन श्रेणियों को देना जारी रखा जाए, जिनको, इस समय यह भत्ता मिल रहा है ।(पैरा संख्या 7.19.37)	स्वीकृत ।
13	**सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए परिवार आवास भत्ता** उन सभी सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए मकान किराया भत्ते की निम्नतम दर पर एक नया परिवार आवास भत्ता देने की शुरुआत की जाए, जो किराया मुक्त आवास/मकान किराया भत्ता अथवा सी.आई.एल.क्यू. के हकदार नहीं हैं । मूल्य सूचकांक में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दरें हर बार 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी । (पैरा संख्या 7.19.42)	स्वीकृत ।

अनुबंध -II

<u>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वे सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ।</u>

क्रम संख्या	सिफारिश
1	वे कर्मचारी, जो 15 वर्ष से अधिक, किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा के बाद बिना पेंशन प्राप्त किए सेवा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए उदार "सेवा-विच्छेद पैकेज" ।
2	अवकाश नीति, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल तीन क्लोज्ड अवकाश ही अनुमत्य हों, से संबंधित सिफारिशें ।
3	महिला कर्मचारियों के लिए "शिथिल घंटे" तथा अशक्त कर्मचारियों के लिए "शिथिल कार्य-सप्ताह" संबंधी सिफारिशें ।

अनुबंध -III

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वे सिफारिशें, जिनकी जाँच अलग से की जाएगी

क्रम संख्या	सिफारिशों का सार
1	बोनस तथा समायोपरि भत्ते से संबंधित सिफारिशें ।
2	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम से संबंधित सिफारिशें ।
3	रक्षा कार्मिकों के केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में लेटरल-शिफ्ट से संबंधित सिफारिशें ।
4	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम की शुरुआत ।
5	भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सदस्य, सी.बी.ई.सी. तथा सदस्य, सी.बी.डी.टी. के पदों को 80,000 रुपए (नियत) के शीर्षस्थ वेतनमान पर स्तरोन्नयन ।
6	सभी लेखांकन सेवाओं का आमेलन ।
7	भारतीय रेल का निगमीकरण ।
8	भारतीय दूर-संचार सेवा तथा दूर-संचार आयोग की समाप्ति ।
9	किसी पी.एस.यू. बैंकों/संस्थानों के लिए पेंशन के संराशीकरण की प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग ।
10	निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, के पद का पूर्व-संशोधित उच्चतर ग्रेड 26,000 रुपए (नियत) में स्तरोन्नयन ।